37–(08)–166–2014

पटना में दिनांक–18 फरवरी, 2014 मंगलवार को अपराह्न 07:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

1. वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर–योजनान्तर्गत बिहार पुराविद् परिषद् पटना को ₹ 1,50,000/– रू० (एक लाख पचास हजार रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 1. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

2. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत शासी संस्थानों के द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, राजगीर ; प्रेमचंद रंगशाला, पटना एवं बहुद्देशीय सांस्कृतिक परिसर, पटना के रखरखाव के निमित्त वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 72,82,000/– (बहत्तर लाख बेरासी हजार रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 2. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

3. "बिहार विरासत विकास समिति", पटना को राज्य के मूर्त्त एवं अमूर्त्त विरासत के सर्वेक्षण, सूचीकरण, प्रकाशन एवं स्थापना व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में योजान्तर्गत ₹ 50,00,000/– (पचास लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 3. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

4. शिविर के दौरान एन०सी०सी० के अंशकालीन पदाधिकारियों एवं कैडटों के विभिन्न भत्तों में अभिवृद्धि की स्वीकृति के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

5. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियमावली, 1986 में संशोधन के संबंध में। — 5. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

6. स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना (Bihar Medical Service and Infrastructure Corporation Limited, Patna) के लिये विभिन्न कोटि के कुल 40 (चालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति। — 6. स्वीकृत।

मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग
(सिविल विमानन निदेशालय, पटना)

7. मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग के अंतर्गत सिविल विमानन निदेशालय के राजकीय वायुयान संगठन में विमान चालक के पद पर नियुक्ति के संबंध में। — **7. स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी)

8. राज्य के जिला एवं अनुमंडल मुख्यालों के 111 (एक सौ ग्यारह) थानों के परिसर में प्रति यूनिट, 5 महिला सिपाहियों के लिए शौचालय एवं स्नानागार तथा 31 पुलिस लाईन, 20 बी०एम०पी०, एम०एम०पी० एवं महिला बटालियन के परिसर में प्रति यूनिट 20 महिला सिपाहियों के लिए शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण कुल लागत राशि ₹ 2705.775 लाख (सताईस करोड़ पाँच लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ रू०) की नई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु प्राक्कलन की 25% राशि ₹ 676.775 लाख (छह करोड़ छिहत्तर लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ रू०) विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में। — **8. स्वीकृत।**

गृह (आरक्षी) विभाग

9. बिहार पुलिस हस्तक–1978 के नियम 654 (e) में संशोधन के संबंध में। — **9. स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी)

10. महिला पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के दौरान सी०टी०एस० नाथनगर में 300 महिला पुलिस कर्मियों के आवासन हेतु दो ब्लॉक का बैरक तथा महिला बटालियन, सासाराम में 300 महिला पुलिस कर्मियों के लिए एक ब्लॉक का बैरक निर्माण कुल लागत राशि ₹ 2412.865 लाख (चौबीस करोड़ बारह लाख छियासी हजर पाँच सौ रू०) की नई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु प्राक्कलन की 25% राशि ₹ 603.865 लाख (छह करोड़ तीन लाख छियासी हजार पाँच सौ रू०) विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में। — **10. स्वीकृत।**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

11. कलाकारों को दिये जानेवाले मानदेय/भत्तों के निर्धारण हेतु समिति गठन के संबंध में। — **11. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

12. ग्रामीण प्रतिष्ठान बिरौली, समस्तीपुर को गैर योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में रू० 65,00,000/– (पैसठ लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। — 12. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

13. वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्य योजना मद से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम अन्तर्गत स्थापित 480 नये प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु ₹ 2483.99 लाख (चौबीस करोड़ तिरासी लाख निन्यानवें हजार रूपये) की स्वीकृति एवं इस वित्तीय वर्ष में एक लाख रूपये व्यय करने हेतु विमुक्ति। — 13. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

14. राज्य के 400 राजकीय/राजकीयकृत/अल्पसंख्यक एवं प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2014–16 में +2 स्तर की पढ़ाई शुरू करने के क्रम में उच्च माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत 400 कम्प्यूटर शिक्षकों के ₹ 12,000 (बारह हजार) प्रतिमाह की दर से नियत वेतन पर ₹ 5,76,00,000 (पाँच करोड़ छिहत्तर लाख) रूपये के वार्षिक व्यय भार पर स्थायी पद सृजित करने के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

15. राज्य के 6 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में स्थापित किये जा रहे नवजात शिशु गहन देखभाल ईकाई (NICU: Neonatal Intensive Care Unit) के लिए आवश्यक पदों का सृजन। — 15. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16. बक्सर जिलान्तर्गत चौसा अंचल के मौजा–अखौरीपुर थाना नं०–36, खाता सं०–102 (क), खेसरा सं०–191, रकबा–0.96 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार किस्म भीठ भूमि विद्युत तापगृह चौसा के निर्माण हेतु 6400 रूपया प्रति डिसमील के दर से 6,14,400 रूपया सलामी एवं समामी का 5% व्यावसायिक लगान अर्थात् 30,720 रूपया का 25 गुणा अर्थात् 7,68,000 रूपया पूँजीकृत मूल्य सहित कुल–13,82,400/– रूपये (तेरह लाख बयासी हजार चार सौ) के भुगतान पर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आई०डी०ए०) को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

17. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष पद के वेतनमान में नियमित प्रोन्नति देने हेतु अधिसंख्य (Supernumerary) पद का सृजन एवं भूतलक्षी तिथि से प्रोन्नति देने का प्रस्ताव। — **17. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

18. राज्य सूचना आयोग में संविदा के आधार पर नियत मासिक वेतन पर नियोजन हेतु सृजित चालक के 6 (छः) तथा आदेशपाल के 15(पन्द्रह) पदों को नियमित वेतनमान में स्थायी पद के रूप में सम्परिवर्तित करते हुए चालक के लिए पी०बी० 1 (5200–20200) में ग्रेड पे ₹ 1900/– तथा अनुसेवक के लिए उक्त वेतनमान में ग्रेड वेतन ₹ 1800/– स्वीकृत किये जाने के संबंध में। — **18. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

19. संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अधीन महामहिम राज्यपाल जी की अनुमति की अनुशंसा प्राप्त कर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन "राजस्व प्रक्षेत्र" को विधान मंडल के आगामी सत्र में दिनांक–21.02.2014 को सदन के पटल पर रखे जाने के संबंध में। — **19. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

20. वित्तीय वर्ष 2013–14 में अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना को गैर योजना मद के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष–2052, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–090–सचिवालय, उपशीर्ष–0041–अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, विपत्र कोड–N–2052000900041 से सहायक अनुदान के मद में उपबंधित कुल ₹ 140,00,000/– (एक करोड़ चालीस लाख) रूपये में से सहायक अनुदान 31 04 वेतन मद में ₹ 85,00,000/– (पचासी लाख) रूपये एवं सहायक अनुदान 31 06 (वेतनादिके अलावा) मद में ₹ 15,00,000/– (पन्द्रह लाख) रूपये इस प्रकार कुल ₹ 1,00,00,000/– (एक करोड़) रूपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में। — **20. स्वीकृत।**

मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग
(सिविल विमानन निदेशालय, पटना)

21. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत सिविल विमानन निदेशालय के अन्तर्गत बिहार उड्डयन संस्थान में सहायक उड्डयन प्रशिक्षक के पद पर नियुक्ति के संबंध में। — **21. स्वीकृत।**

गृह विभाग (विशेष)

22. भागलपुर दंगा प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को न्याय दिलाने, पुनर्वासित करने और भविष्य में ऐसे दंगों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु गठित भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा न्यायिक जाँच आयोग के कार्यकाल की अवधि दिनांक–01.03.2014 से दिनांक–31.08.2014 तक पूर्व शर्त्तों पर विस्तारित करने के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

वित्त विभाग

23. कर्मचारियों/पदाधिकारियों की हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश स्वीकृत कर विनियमित करने के संबंध में। — 23. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

24. 12वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत राज्य के 27 जिलों में गाँवों एवं टोलों के विद्युतीकरण हेतु आर०ई०सी० द्वारा स्वीकृत यथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के अन्तर्गत 10 जिलों के लिए 1414.03 करोड़ रूपये एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के अन्तर्गत 17 जिलों के लिए 3806.62 करोड़ रूपये कुल 5220.65 करोड़ रूपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं ऋण के रूप में प्राप्त होनेवाली 10 प्रतिशत की राशि के पुनर्भुगतान सूद सहित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 24. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

25. लखीसराय जिलान्तर्गत कजरा में लखीसराय बिजली कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड की प्रस्तावित कोयला आधारित 2x660 मेगावाट (1320 मेगावाट) क्षमता की विद्युत परियोजना को बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड तथा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NTPCL), के बीच संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) के रूप में विकसित करने हेतु लखीसराय बिजली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बी०एस०पी०जी०सी०एल० तथा एन०टी०पी०सी०एल० के बीच त्रिपक्षीय समझौता (MOU) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति के संबंध में। — 25. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

26. साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के अंतर्गत पटना जिला के पाँच स्थानों पर पाँच अदद् नये GIS आधारित शक्ति उपकेन्द्रों की 37.50 करोड़ रूपये की योजना एवं नार्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के अंतर्गत तीन स्थानों पर तीन अदद् नये GIS आधारित शक्ति उपकेन्द्रों की 22.50 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को 6.00 करोड़ (छः करोड़ रूपये) रूपये एवं नार्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को 6.00 करोड़ (छः करोड़ रूपये) रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति, नार्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालयों में AAAC/ACSR तारों को हटाकर एरियल बन्च केबुल (ABC) लगाने की 21.00 करोड़ रूपये की योजना एवं साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की 9.83 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को 4.00 करोड़ (चार करोड़ रूपये) रूपये एवं नार्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को 4.00 करोड़ (चार करोड़ रूपये) रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **26. स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

27. बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्त्तमान में कोई ग्रिड सब–स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के०भी० क्षमता वाली (ए०आई०एस०) ग्रिड सब–स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना मद से वित्तीय वर्ष 2013–14 में 10.00 करोड़ (दस करोड़ रूपये) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **27. स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

28. बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान के आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण की 137.50 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को 10.00 करोड़ (दस करोड़ रूपये) रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **28. स्वीकृत।**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

29. सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–10834/2012 डा० लालबाबू सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में दिनांक–09.07.2012 को पारित आदेश एवं एम०जे०सी० संख्या–4163/2012 डा० लालबाबू सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश के आलोक में रिट आवेदकों के मामले में विभागीय संकल्प संख्या–2131, दिनांक–14.09.2012 को दिनांक–31.07.2012 से प्रभावी मानते हुए उनके सेवानिवृति की आयु 62 (बासठ) वर्ष से बढ़ाकर 65 (पैंसठ) वर्ष करने तथा परिणामिक वित्तीय लाभ प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। — 29. स्वीकृत।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

30. बिहार उत्पाद सिपाही संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली 2014 की स्वीकृति के संबंध में। — 30. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

31. बिहार राज्य में आई०टी० प्रक्षेत्र के आधारभूत संरचना को विकसित एवं आई०टी० आधारित उद्योगों में निवेश तथा प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के संबंध में। — 31. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

32. राज्य में विद्युतकरघा बुनकरों को वित्तीय वर्ष 2013–14 में दिनांक–01.02.14 से विद्युत अनुदान दर प्रति यूनिट रू० 1.50 से बढ़ाकर रू० 3.00 प्रति युनिट निर्धारित करने, दिनांक–01.04.13 से 31.01.14 तक पूर्व की भॉति रू० 1.50 प्रति यूनिट की दर से अनुदान की स्वीकृति तथा इस हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में 68.00 (अड़सठ) लाख रूपये सहायक अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 32. स्वीकृत।